अपर्णा यू0
आई0ए0एस0
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14– अशोक मार्ग, लखनऊ –01
ई–मेल : mduppcl12@gmail.com
दूरभाष – (0522) 2288377 (का0)
फैक्स – (0522) 2288410
CIN NO:- U32201UP1999SGC024928

पत्रांकः–1733/मु0अ0(वाणिज्य)/सी0यू0–दो/शिकायत(कैम्प) दिनांकः–दिसम्बर, 31 2018

विषय– प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी 33/11 उपकेन्द्रों पर "विद्युत समाधान शिविरों" के आयोजन के सम्बन्ध में।

ई–मेल/
स्पीड पोस्ट

प्रबन्ध निदेशक
मध्यॉचल/पूर्वान्चल/पश्चिमॉचल/दक्षिणॉचल
विद्युत वितरण निगम लि0
लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा।

प्रबन्ध निदेशक
केस्को
कानपुर

महोदय,

प्रायः यह देखा जा रहा है कि प्रदेश के समस्त ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के सामान्य विद्युत उपभोक्ताओं की विद्युत सम्बन्धी समस्याओं का विद्युत उपकेन्द्रों पर अवर अभियन्ताओं अथवा उपखण्ड अधिकारियों की अनुपलब्धता के कारण समाधान नहीं हो पाता है।

अतः इस क्रम में समस्त डिस्कामों के समस्त ग्रामीण एवं शहरी 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्रों पर दिनांक 01.01.2019 से 31.03.2019 तक **"विद्युत समाधान शिविरों"** का आयोजन किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार आयोजित किये जाने वाले "विद्युत समाधान शिविरों" की कार्ययोजना (संलग्नक–क) संलग्न की जा रही है।

आपसे अनुरोध है कि आप इस सम्बन्ध में अपने डिस्काम हेतु वाणिज्य स्कन्ध के कम से कम मुख्य अभियन्ता स्तर के नोडल अधिकारी का नाम, पदनाम एवं मोबाइल नं0 तत्काल वाणिज्य स्कन्ध, शक्ति भवन, लखनऊ को ई–मेल cecomuppcl@gmail.com पर सूचित करते हुये सुनिश्चित करें कि आपके डिस्काम की क्षेत्रवार संकलित सूचना वाणिज्य स्कन्ध, शक्ति भवन, लखनऊ को प्रत्येक सोमवार को आवश्यक रूप से साप्ताहिक सूचना प्रपत्र (संलग्नक–ख) पर प्रेषित की जाये।

कृपया संज्ञान ले कि उपभोक्ताओं की प्राप्त होने वाली समस्याओं का निस्तारण ससमय न होना गम्भीरता से लिया जायेगा।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीया,
Aparna U.
(अपर्णा यू0)
प्रबन्ध निदेशक

पत्र संख्याः 1733/मु0अ0(वाणिज्य)/सी0यू0–दो 2018–19 तद् दिनांकः– 31.12.18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष महोदय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (वित्त/वाणिज्य/वितरण/का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (वणिज्य–1/वाणिज्य–2), उ0प्र0 पा0का0लि0, लखनऊ।
4. अधीक्षण अभियन्ता (आई0टी0), उ0प्र0 पा0का0लि0, लखनऊ।
5. जनसम्पर्क अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. अधिशासी अभियन्ता (कम्प्यूटराईजेशन इकाई), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(अपर्णा यू0)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

Scanned by CamScanner

(संलग्नक–क)

विद्युत समाधान शिविरों की कार्य योजना

- प्रत्येक ग्रामीण 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र हेतु अवर अभियन्ता/एस0डी0ओ0 (उपलब्धता के अनुसार) तथा शहरी 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र हेतु एस0डी0ओ0 कैम्पों के नोडल अधिकारी होंगे।
- प्रत्येक ग्रामीण एवं शहरी 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र पर रोज सुबह 10 बजे से 1 बजे तक नोडल अवर अभियन्ता/उपखण्ड अधिकारी उपलब्ध रहेंगे।
- जहॉ पर एक अवर अभियन्ता के पास एक से अधिक उपकेन्द्र है वहॉ वह रोटेशन में पूर्व निर्धारित रोस्टर के अनुसार प्रत्येक दिन किसी न किसी उपकेन्द्र पर प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक उपलब्ध रहेंगे। रोस्टर की निर्धारित तिथियां मोटे अक्षरों में उपकेन्द्र पर प्रदर्शित की जायेगी।
- जिस दिन एक से अधिक उपकेन्द्र होने के कारण या अन्य किसी अति आवश्यक कारण से नोडल अधिकारी उपस्थित नहीं रह सकते है तो अपने अधीन किसी नामित टी0जी0 2 लाइन/विद्युत को उपस्थित रहने हेतु आदेशित करेंगे।
- अवर अभियन्ता उपभोक्ताओं से उनकी विद्युत सम्बन्धी शिकायत प्राप्त कर एक रजिस्टर में दर्ज करेंगे एवं मूल प्रार्थना पत्र को तिथि वार एक कट फाइल में सुरक्षित रखेंगे।
- जिन शिकायतों का निस्तारण वह अपने स्तर से कर सकते हैं उनका निस्तारण तत्काल करेंगे और शिकायत रजिस्टर में इसकी पुष्टि करेंगे।
- जिन शिकायतों का निस्तारण उनके स्तर से नहीं हो सकता है, उनको संकलित कर उस उपकेन्द्र पर आगामी तिथि को लगने वाले विद्युत समाधान शिविर में उपस्थित उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुतकर उसका निस्तारण करायेंगे तथा कृत कार्यवाही से शिकायतकर्ता को भी उपलब्ध संचार माध्यम से अवगत करायेंगे।
- उपखण्ड अधिकारी प्रत्येक सप्ताह पूर्व निर्धारित चार कार्य दिवसों पर अपनी कार्य क्षेत्रान्तर्गत किसी न किसी उपकेन्द्र पर प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक उपस्थित रहकर उपभोक्ताओं की समस्याओं का निस्तारंण करेंगे।
- उपखण्ड अधिकारी विद्युत समाधान शिवरों में अपने कार्यालय के सहायक के साथ त्रुटिपूर्ण विद्युत बिलों के सुधार एवं विद्युत बिलों को जमा कराने की व्यवस्था के साथ उपस्थित रहेंगे, जिससे शिकायतों का निस्तारण तत्काल किया जा सके।
- उपखण्ड अधिकारी अपने समाधान शिविरों का मासिक कलेन्डर इस प्रकार जारी करेंगे ताकि 31 मार्च 2019 तक अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रत्येक 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र पर न्यूनतम 12 से 14 समाधान शिविर का आयोजन कर पायें।
- ग्रामीण क्षेत्र में अधिशासी अभियन्ता द्वारा जारी किये गये रोस्टर में से प्रत्येक माह न्यूनतम एक बार अवश्य अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रत्येक उपकेन्द्र में लगने वाले समाधान शिविर का निरीक्षण करेंगे तथा वहां पर उपलब्ध शिकायत पंजिका में दर्ज शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता की समीक्षा करेंगे।
- अधीक्षण अभियन्ता प्रत्येक माह अपने मण्डल के प्रत्येक खण्ड के न्यूनतम 2 उपकेन्द्र पर लगने वाले विद्युत समाधान शिविरों में उपस्थित रहेंगे।
- मुख्य अभियन्ता प्रत्येक माह अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रत्येक मण्डल के न्यूनतम एक उपकेन्द्र पर लगने वाले विद्युत समाधान शिविर का निरीक्षण करेंगे।
- उपकेन्द्रों पर लगने वाले शिविरों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। विद्युत समाधान शिविर का बैनर भी उपकेन्द्रों पर लगवाया जाये।
- उपखण्ड अधिकारी द्वारा आयोजित समाधान शिविर में अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता में से कोई एक ही अधिकारी उपस्थित रहें जिससे अधिक से अधिक शिविरों में उच्च अधिकारियों की उपस्थिति हो सकें।

Aparna U.

अपर्णा यू0

प्रबन्ध निदेशक

Scanned by CamScanner

संलग्नक–ख

NAME OF DISCOM : ....Vidhyut Vitran Nigam Limited

Weekly Report (Every Monday)

Name of Zone	No. of Sub-Station		Camp's Organized		No. of Complaint's Received		No. of Complaints Resolved		Bill Revision Done (Only Online Figure Shall be Accepted)		No. of Complaints Unresolved since 01-01-2019	
	Urban	Rural	Urban	Rural	Urban	Rural	Urban	Rural	Urban	Rural	Urban	Rural

Scanned by CamScanner